

Section-4(1)(b)(xvi)

The particulars of facilities available to citizens for obtaining information, including the working hours of a library or reading room, if maintained for the public use

(सूचना अभीप्राप्ति करने के लिए नागरिक को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियों जिसमें किसी पुस्तक या वाचक कक्ष के यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है तो कार्यकरण घण्टे सम्मिलित है)S

The names, designations and other particulars of the Public Information Officers
(लोक सूचना अधिकारियों के नाम पद और अन्य विशिष्टियाँ)

First Appellate Authority (FAA)	Prof. (Dr.) Suman Yadav Principal, Government College, Krishan Nagar Mobile No.: - 9466323451 Email:- gckrishannagar@gmail.com
State Public Information Officer-I (for all RTI Applications received on Transfer under section 6(3))	Dr. Chandra Pal Yadav Assistant Professor Government College, Krishan Nagar Mobile No.: -9467668930 Email:- gckrishannagar@gmail.com
RTI Clerk	Sh. Lalit Kumar Computer Lab Attendant Government College, Krishan Nagar Mobile No.: -8295313121

भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (<http://righttoinformation.gov.in/rti-actinhindi.pdf>) बनाया है जो 12 अक्टूबर 2005 से लागू हो गया है इस अधिनियम के अंतर्गत सूचना का अधिकार सार्वजनिक प्राधिकारनों में परदर्शिता और जिम्मेवारी बढ़ाने के लिए इने प्राधिकारनों के नियन्त्रण में रहने वाली सूचना तक भारतीय नागरिकों की पहुंच के लिए एक साधन है इस अधिनियम की धारा 8 और 9 में सूचना की कटिपय श्रेणियां दी गई है जिन्हें प्राधिकारनों से छुट दी गई है इस अधिनियम में एक मुख्य जनसूचना अधिकारी को नियुक्त करने की व्यवस्था भी की गई है जो सूचना के अनुरोधों का कार्य देखेगा

इस अधिनियम के अंतर्गत राजकीय महाविद्यालय कृष्णा नगर का दायितव

राजकीय के महाविद्यालय कृष्णा नगर एक सार्वजनिक प्राधिकरण है जैसे कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में परिभाषित है इस प्रकार राजकीय महाविद्यालय कृष्णा नगर का यह दायितव है कि वहां जनसाधारण को सूचना उपलब्ध कराएं